न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 04/2026

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 03/2026

राजस्थान सरकार जरिये, श्री हेमन्त कुमार आर्य, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री सूरज सिंह उर्फ कूका निवासी केसरपुरा थाना मांगलियावास जिला अजमेर
2. श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री हेमाराम मेघवाल मकान नं0 125, बछराज स्कूल के पीछे डीडवाना, जिला डीडवाना कुचामन
3. श्री सिकन्दर सिंह रावत पुत्र श्री ज्ञान सिंह निवासी केसरपुरा, थाना मांगलियावास जिला अजमेर
4. श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री मदनदास निवासी जादोड़ थाना मौलासर जिला डीडवाना कुचामन

.....अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्रीमति रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी — पेरोकार सरकार
श्री खिया सिंह रावत अभिभाषक — अप्रार्थी 02 व 04

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955
(सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र वास्ते जब्तशुदा टैंकर को निर्मुक्त करने बाबत)

आदेश

दिनांक–23.01.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि मांगलियावास पुलिस थाना क्षेत्र से अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की सूचना मिलने पर दिनांक 30.12.2025 को मोनिका जाखड, जिला रसद अधिकारी (प्रथम) अजमेर हमराह हेमन्त कुमार आर्य प्रवर्तन अधिकारी, मीना कुमारी डेचरवाल प्रवर्तन अधिकारी, महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक एवं राहुल कुमार वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक भावना होटल के सामने तिलोरा बॉडी रिपेरिंग वर्क्स, सराधना 05.15 बजे पहुँचे। मौके पर श्री दिनेश कुमार एस.एच.ओ मांगलियावास मौके पर उपस्थित मिले, जिन्होने मौके पर तहरीर दी जिसके अन्तर्गत मौके पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का टेंकर नं0 RJ-37-GB-1031 खड़ा नजर आया उक्त टैंकर में चार बॉल्व में से पेट्रोलियम पदार्थ दो बड़ी प्लास्टिक की बाल्टियों में व एक छोटा जरीकेन में तीन व्यक्ति बॉल्व का लॉक खोलकर पेट्रोलियम पदार्थ की चोरी कर अवैध भण्डारण करता हुआ पाया गया। बाल्टियों को चैक किया तो एक बाल्टी में करीब 5 लीटर व छोटे जरीकेन में करीब 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। गोदाम में दो प्लास्टिक के ड्रम जिसमें एक ड्रम खाली दूसरे ड्रम में करीब 20 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा है तथा आस पास ही में दो लोहे के ड्रम पूरा भरा हुआ है। दो कटे हुए खाली प्लास्टिक के ड्रम गोदाम में पड़े है तथा ड्रमों के पास में पेट्रोलियम पदार्थ निकालने व भरने के लिए दो मोटर (इलेक्ट्रिक पानी की मशीन) जिनके प्लास्टिक के पाइप लगे हुये है तथा तीन लोहे के कीप व नोजल लगे प्लास्टिक पाईप के टुकड़े पड़े पाये आदि के सबंध में उक्त तीनो व्यक्तियों से पेट्रोलियम पदार्थ निकालने व भण्डारण करने के सबंध में लाईसेंस व परमिट मांगा तो नहीं होना बताया। मौके पर जांच करने पर पाया गया कि एक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का टैंकर खड़ा पाया गया जिसका नम्बर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

RJ-37-GB-1031 है जिसमें 04 बाल्व लगे हुये जिसमें से दो के लॉक खुले पाये गये, टैंकर के पास दो प्लास्टिक की बाल्टियां व एक जरीकेन पाया गया जिसमें एक बाल्टी में करीब 5 लीटर व जरीकेन में करीब 20 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। मौके पर पास में ही स्थित बोर्ड की जांच करने पर तीन कमरे व एक गोदाम पाया गया उक्त गोदाम में दो प्लास्टिक के ड्रम जिसमें एक ड्रम जिनकी क्षमता 220–220 लीटर की है जिनमें एक ड्रम खाली व दूसरा ड्रम पूरा भरा हुआ पाया गया। इसके अतिरिक्त दो कटे हुये खाली प्लास्टिक के ड्रम गोदाम में पड़े पाये तथा ड्रमों के पास पेट्रोलियम पदार्थ निकालने व भरने के लिए दो मोटर जिनमें प्लास्टिक के पाईप लगे हुए तथा तीन लोहे के कीप व नोजल लगे प्लास्टिक पाईप के टुकड़े पाये गये। अतः उक्त पेट्रोलियम पदार्थ मय टैंकर व अन्य सभी मौके पर पाई गयी सामग्री प्लास्टिक बाल्टियॉं, जरीकेन, प्लास्टिक ड्रम, दो मोटर तथा प्लास्टिक पाईप राजहित में कब्जेराज लेकर जब्त सरकार किये गये। उक्त सभी जब्तशुदा सामग्री/उपकरण अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु पुलिस थाना मांगलियावास को मौके पर सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य MS and HSDC (regulation Of Supply, distribution & prevention OF malpractices) Order 2005 की धारा 2(r) 4, 5, 6 का उल्लंघन है जो EC Act 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत एक दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय टेंकर नम्बर RJ-37-GB-1031 (कांटा कराने पर Gross Weight 26120) दो बड़ी प्लास्टिक की बाल्टियॉं (जिसमें से एक बाल्टी में करीब 5 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ) एवं एक जरीकेन जिसमें करीब 20 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ दो नीले ड्रम (एक में 20 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं एक खाली ड्रम एवं दो लोहे के ड्रम क्षमता 220 लीटर प्रत्येक की जिनमें एक पूरा भरा एवं एक खाली) कुल 265 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ व दो कटे खाली प्लास्टिक के ड्रम, दो इलेक्ट्रिक पानी की मोटर जिनमें चार पाईप जुडे हुये, तीन लोहे के कीप, दो पाईप जिनसे नोजल जुड़े को राजसात करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 व 04 की ओर से श्री खिया सिंह रावत अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 01 व 03 सूचना बावजूद गैर हाजिर। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मांगलियावास पुलिस थाना क्षेत्र से अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की सूचना मिलने पर दिनांक 30.12.2025 को मोनिका जाखड, जिला रसद अधिकारी (प्रथम) अजमेर हमराह हेमन्त कुमार आर्य प्रवर्तन अधिकारी, मीना कुमारी डेचरवाल प्रवर्तन अधिकारी, महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक एवं राहुल कुमार वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक भावना होटल के सामने तिलोरा बॉडी रिपेरिंग वर्क्स, सराधना 05.15 बजे पहुँचे। मौके पर श्री दिनेश कुमार एस.एच.ओ मांगलियावास मौके पर उपस्थित मिले, जिन्होने मौके पर मुहरीर दी जिसके अन्तर्गत मौके पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का टेंकर नं0 RJ-37-GB-1031 खडा नजर आया उक्त टेंकर में चार बॉल्व में से पेट्रोलियम पदार्थ दो बड़ी प्लास्टिक की बाल्टियों में व एक छोटा जरीकेन में तीन व्यक्ति बॉल्व का लॉक खोलकर पेट्रोलियम पदार्थ की चोरी कर अवैध भण्डारण करता हुआ पाया गया। बाल्टियों को चैक किया तो एक बाल्टी में करीब 5 लीटर व छोटे जरीकेन में करीब 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। मौके पर उपस्थित तीनों व्यक्तियों का नाम पूछा तो एक

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

ने अपना नाम दिलीप कुमार पुत्र मदन दास जाति वैष्णव उम्र 33 वर्ष निवासी जादोड़ थाना मौलासर जिला डीडवाना, कुचामन उक्त टैंकर का चालक होना बताया व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम मुकेश कुमार पुत्र हेमाराम जाति मेघवाल उम्र 30 निवासी मकान नं0 125 बछराज स्कूल के पीछे, डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन का होना बताया व उक्त टैंकर का खलासी होना बताया। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम सिंकदर पुत्र ज्ञानसिंह जाति रावत उम्र 19 निवासी केसरपुरा थाना, मांगलियावास जिला अजमेर बताया व उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को खरीदना व बेचना बताया। पूछताछ पर बताया कि वे ये कार्य सूरज सिंह उर्फ कूका निवासी केसरपुरा के लिए करता है तथा पास ही स्थित बाड़ा को चैक किया तो बाडे में तीन कमरे व एक गोदाम बना हुआ है उक्त गोदाम में लोहे का शटर लगा हुआ होकर खुला है, जिसको चैक किया तो गोदाम में दो प्लास्टिक के ड्रम जिसमें एक ड्रम खाली दूसरे ड्रम में करीब 20 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा है तथा आस पास ही में दो लोहे के ड्रम पूरा भरा हुआ है। दो कटे हुए खाली प्लास्टिक के ड्रम गोदाम में पड़े है तथा ड्रमों के पास में पेट्रोलियम पदार्थ निकालने व भरने के लिए दो मोटर (इलेक्ट्रिक पानी की मशीन) जिनके प्लास्टिक के पाइप लगे हुये है तथा तीन लोहे के कीप व नोजल लगे प्लास्टिक पाईप के टुकड़े पडे पाये आदि के सबंध में उक्त तीनो व्यक्तियों से पेट्रोलियम पदार्थ निकालने व भण्डारण करने के सबंध में लाइसेंस व परमिट मांगा तो नहीं होना बताया। पुनः निकालकर उक्त गोदाम में भण्डारण कर आने जाने वाले ट्रक चालकों को बेचते है। मौके पर जांच करने पर पाया गया कि एक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का टैंकर खड़ा पाया गया जिसका नम्बर RJ-37-GB-1031 है जिसमें 04 बाल्व लगे हुये जिसमें से दो के लॉक खुले पाये गये, टैंकर के पास दो प्लास्टिक की बाल्टियां व एक जरीकेन पाया गया जिसमें एक बाल्टी में करीब 5 लीटर व जरीकेन में करीब 20 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। मौके पर पास में ही स्थित बोर्ड की जांच करने पर तीन कमरे व एक गोदाम पाया गया उक्त गोदाम में दो प्लास्टिक के ड्रम जिसमें एक ड्रम जिनकी क्षमता 220–220 लीटर की है जिनमें एक ड्रम खाली व दूसरा ड्रम पूरा भरा हुआ पाया गया। इसके अतिरिक्त दो कटे हुये खाली प्लास्टिक के ड्रम गोदाम में पड़े पाये तथा ड्रमों के पास पेट्रोलियम पदार्थ निकालने व भरने के लिए दो मोटर जिनमें प्लास्टिक के पाईप लगे हुए तथा तीन लोहे के कीप व नोजल लगे प्लास्टिक पाईप के टुकड़े पाये गये। मौके पर पुलिस द्वारा पकड़े गये तीनो व्यक्तियों के पृथक बयान लिए गए। मौके पर टैंकर से पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर पीछे स्थित बाड़े में स्थित गोदाम में भण्डारित किया जाना पाया गया। उक्त प्रकरण माल प्रेक्टिस का स्पष्ट उदारण है। अतः उक्त पेट्रोलियम पदार्थ मय टैंकर व अन्य सभी मौके पर पाई गयी सामग्री प्लास्टिक बाल्टियॉ, जरीकेन, प्लास्टिक ड्रम, दो मोटर तथा प्लास्टिक पाईप राजहित में कब्जेराज लेकर जब्त सरकार किये गये। उक्त सभी जब्तशुदा सामग्री/उपकरण अग्रिम आदेशों तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु पुलिस थाना मांगलियावास को मौके पर सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य MS and HSDC (regulation Of Supply, distribution & prevention Of malpractices) Order 2005 की धारा 2(r) 4, 5, 6 का उल्लंघन है जो EC Act 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत एक दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय टेंकर नम्बर RJ-37-GB-1031 (कांटा कराने पर Gross Weight 26120) दो बड़ी प्लास्टिक की बाल्टियॉ (जिसमें से एक बाल्टी में करीब 5 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ) एवं एक जरीकेन जिसमें करीब 20 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ दो नीले ड्रम (एक में 20 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं एक खाली ड्रम एवं दो लोहे के ड्रम क्षमता 220 लीटर प्रत्येक की जिनमें एक

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

पूरा भरा एवं एक खाली) कुल 265 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ व दो कटे खाली प्लास्टिक के ड्रम, दो इलेक्ट्रिक पानी की मोटर जिनमें चार पाईप जुड़े हुये, तीन लोहे के कीप, दो पाईप जिनसे नोजल जुडे को राजसात करने के आदेश फरमावे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 व 4 द्वारा प्रार्थना पत्र तथ्यों को सिरे से नकारते हुए मुख्यतः निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी अजमेर ने झूठे तथ्यो के आधार पर उक्त परिवाद पेश किया गया हैं। अप्रार्थी को मौके पर किसी भी प्रकार का कोई पेट्रोलियम पदार्थ को बेचते हुए नहीं पकड़ा गया, मात्र शंका आशंका के आधार पर उक्त परिवाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश किया गया हैं। अप्रार्थीगण के वाहन में भरे गये पेट्रोलियम पदार्थ जी.एस.टी. पेड़ था जो कि खरीदशुदा माल था इसके उपरांत भी अप्रार्थीगण के खड़े वाहन को मात्र आशंका के आधार पर झूठा लिप्त किया गया हैं। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उपरोक्त जवाब स्वीकार कर प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज किये गये परिवाद को निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित करने की कृपा करावें।

प्रार्थी मैसर्स जवरीमल द्वारका प्रसाद जरिये भागीदार नरेन्द्र कुमार कुम्पावत पुत्र स्वर्गीय श्री सीताराम कुम्पावत, मनोज कुमार कुम्पावत पुत्र स्वर्गीय श्री श्यामलाल, जाति महाजन, निवासी कुचामन रोड़ डीडवाना जिला डीडवाना/कुचामन ने सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का वाहन टेंकर नम्बर RJ-37-GB-1031 को मय डीजल पेट्रोल जिला रसद अधिकारी अजमेर ने झूठें तथ्यों के आधार पर अपराध अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में जब्त किया है जब कि उक्त वाहन आवश्यक वस्तु अधिनियम के किसी भी प्रावधान में लिप्त नहीं है ना ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानो का उल्लंघन किया है। उपरोक्त जब्तशुदा वाहन प्रार्थीगण के फर्म के नाम से पंजीकृत है। वाहन का जिला रसद अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है तथा अब किसी भी प्रकार की बरामदगी व अनुसंधान शेष नहीं है तथा वाहन थाने पर देख रेख के अभाव में क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। वाहन प्रार्थी का दैनिक रोजमर्रा का आवश्यक साधन है जिसके अभाव में प्रार्थी को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः उक्त वाहन सुपुर्दगीनामें पर लौटाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि मांगलियावास पुलिस थाना क्षेत्र से अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की सूचना मिलने पर दिनांक 30.12.2025 को मोनिका जाखड़, जिला रसद अधिकारी (प्रथम) अजमेर हमराह हेमन्त कुमार आर्य प्रवर्तन अधिकारी, मीना कुमारी डेचरवाल प्रवर्तन अधिकारी, महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक एवं राहुल कुमार बेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक भावना होटल के सामने तिलोरा बॉडी रिपेरिंग वर्क्स, सराधना 05.15 बजे पहुँचे। मौके पर श्री दिनेश कुमार एस.एच.ओ मांगलियावास उपस्थित मिले, जिन्होने मौके पर तहरीर दी जिसके अन्तर्गत मौके पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का टेंकर नं0 RJ-37-GB-1031 खड़ा नजर आया उक्त टेंकर में चार बॉल्व में से पेट्रोलियम पदार्थ दो बड़ी प्लास्टिक की बाल्टियों में व एक छोटा जरीकेन में तीन व्यक्ति बॉल्व का लॉक खोलकर पेट्रोलियम पदार्थ की चोरी कर अवैध भण्डारण करता हुआ पाया गया। बाल्टियों को चैक किया तो एक बाल्टी में करीब 5 लीटर व छोटे जरीकेन में करीब 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। मौके पर उक्त गोदाम में लोहे का शटर लगा हुआ होकर खुला है, जिसको चैक किया तो गोदाम में दो प्लास्टिक के ड्रम जिसमें एक ड्रम

जिला कलक्टर
अजमेर

खाली दूसरे ड्रम में करीब 20 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा है तथा आस पास ही में दो लोहे के ड्रम पूरा भरा हुआ है। दो कटे हुए खाली प्लास्टिक के ड्रम गोदाम में पड़े है तथा ड्रमों के पास में पेट्रोलियम पदार्थ निकालने व भरने के लिए दो मोटर (इलेक्ट्रिक पानी की मशीन) जिनके प्लास्टिक के पाइप लगे हुये है तथा तीन लोहे के कीप व नोजल लगे प्लास्टिक पाईप के टुकडे पड़े पाये आदि के सबंध में उक्त तीनो व्यक्तियों से पेट्रोलियम पदार्थ निकालने व भण्डारण करने के सबंध में लाइसेंस व परमिट मांगा तो नहीं होना बताया। मौके पर एक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का टैंकर खड़ा पाया गया जिसका नम्बर RJ-37-GB-1031 है जिसमें 04 बाल्व लगे हुये जिसमें से दो के लॉक खुले पाये गये, टैंकर के पास दो प्लास्टिक की बाल्टियां व एक जरीकेन पाया गया जिसमें एक बाल्टी में करीब 5 लीटर व जरीकेन में करीब 20 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। मौके पर पास में ही स्थित बोर्ड की जांच करने पर तीन कमरे व एक गोदाम पाया गया उक्त गोदाम में दो प्लास्टिक के ड्रम जिसमें एक ड्रम जिनकी क्षमता 220–220 लीटर की है जिनमें एक ड्रम खाली व दूसरा ड्रम पूरा भरा हुआ पाया गया। इसके अतिरिक्त दो कटे हुये खाली प्लास्टिक के ड्रम गोदाम में पड़े पाये तथा ड्रमों के पास पेट्रोलियम पदार्थ निकालने व भरने के लिए दो मोटर जिनमें प्लास्टिक के पाई लगे हुए तथा तीन लोहे के कीप व नोजल लगे प्लास्टिक पाई के टुकडे पाये गये। मौके पर टैंकर संख्या RJ-37-GB-1031 से पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर पीछे स्थित बाड़े में स्थित गोदाम में भण्डारित किया जाना पाया गया। उक्त प्रकरण माल प्रेक्टिस का स्पष्ट उदारण है। अतः उक्त पेट्रोलियम पदार्थ मय टैंकर व अन्य सभी मौके पर पाई गयी सामग्री प्लास्टिक बाल्टियॉ, जरीकेन, प्लास्टिक ड्रम, दो मोटर तथा प्लास्टिक पाईप राजहित में कब्जेराज लेकर जब्त सरकार किये गये। इस प्रकार अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य MS and HSDC (regulation Of Supply, distribution & prevention Of malpractices) Order 2005 की धारा 2(r) 4, 5, 6 का उल्लंघन है जो EC Act 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत एक दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्तशुदा टेंकर नम्बर RJ-37-GB-1031 में भरा पेट्रोलियम पदार्थ, दो बड़ी प्लास्टिक की बाल्टियॉ (जिसमें से एक बाल्टी में करीब 5 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ) एवं एक जरीकेन जिसमें करीब 20 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ दो नीले ड्रम (एक में 20 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं एक खाली ड्रम एवं दो लोहे के ड्रम क्षमता 220 लीटर प्रत्येक की जिनमें एक पूरा भरा एवं एक खाली) कुल 265 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ व दो कटे खाली प्लास्टिक के ड्रम, दो इलेक्ट्रिक पानी की मोटर जिनमें चार पाईप जुड़े हुये, तीन लोहे के कीप, दो पाईप जिनसे नोजल जुड़े को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी अजमेर सम्बन्धित ऑयल कम्पनी/रसद विभाग के निर्देशानुसार नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें और निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावें। चूंकि इस न्यायालय को कब्जे राज ली गई आवश्यक वस्तु (Essential Commidity) तथा उसके दुरूपयोग हेतु वहन किये जाने वाले वाहन के निस्तारण के अधिकार प्राप्त है। टेंकर नम्बर RJ-37-GB-1031 से पेट्रोलियम पदार्थ सहित जब्त किया गया है। वाहन संख्या RJ-37-GB-1031 के टैंकर से डीजल/पेट्रोल निकालना पाया गया है। उक्त वाहन का उपयोग उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी, अवैध कृत्य के परिवहन हेतु किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जबकि वाहन स्वामी ने उक्त वाहन को निर्मुक्त करने का निवेदन किया है। जब्तशुदा वाहन को राजसात करने के आदेश से पूर्व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में दिये गये प्रावधानो के मध्यनजर जब्तशुदा टेंकर संख्या RJ-

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

37-GB-1031 पर 1,00,000 (अक्षरे एक लाख रूपये मात्र) की शास्ति आरोपित की जाती है। आरोपित शास्ति राशि जमा कराने पर जब्तशुदा वाहन टेंकर संख्या RJ-37-GB-1031 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद मालिकाना हक (स्वामित्व), दस्तावेज जांच के सम्बन्धित को सुपुर्द करें। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण, मूल 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का अन्तिम निस्तारण उक्त आदेशानुसार किया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी मैसर्स जवरी मल द्वारका प्रसाद जरिये भागीदार नरेन्द्र कुमार कुम्पावत पुत्र स्वर्गीय श्री सीताराम कुम्पावत, मनोज कुमार कुम्पावत पुत्र स्वर्गीय श्री श्यामलाल, जाति महाजन, निवासी कुचामन रोड़ डीडवाना जिला डीडवाना/कुचामन द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 03/2026, वास्ते जब्तशुदा टेंकर संख्या RJ-37-GB-1031 को सुपुर्दगी पर छोड़े जाने हेतु न्यायालय हाजा द्वारा पारित इस अन्तिम आदेश के परिपेक्ष्य में उक्त सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहने, सारहीन हो जाने के कारण इसी स्तर पर इसी कदर से निस्तारित किये जाते है। अतः सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र फैसल शुमार हो।

आदेश आज दिनांक 23.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर